उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन 14–अशोक मार्ग
लखनऊ–226001

संख्या– 277–प्र0सु0–01 / पाकालि / 2006–29–प्र0सु0 / 2001 दिनांक :– नवम्बर 02, 2006

कार्यालय ज्ञाप

विद्युत उपभोक्ताओं को नये संयोजन अवमुक्त करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं उसमें लगने वाले समय में कटौती करने के उद्देश्य से 4 कि0वा0 विद्युत भार तक के सिंगल फेज घरेलू बत्ती एवं पंखा के संयोजनों को अवमुक्त करने हेतु अवर अभियन्ता (वितरण) को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अधिकृत किया जाता है :–

1– सबंधित अवर अभियन्ता (वितरण) उपभोक्ता द्वारा नया संयोजन स्वीकृत करने सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें विद्युत आपूर्ति संहिता तथा निगम द्वारा समय–समय पर निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देशों के अनुरूप पूर्ण कराने के उपरान्त नियमानुसार निर्धारित धनराशि ऑफ लाईन / ऑन लाईन के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर सीधे निगमीय खाते में जमा करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2– प्रत्येक वितरण खण्ड कार्यालय द्वारा उनके अधीनस्थ तैनात सभी अवर अभियन्ता (वितरण) को सीधे नये संयोजनों हेतु 30 सर्विस संयोजन नम्बर आवंटित किये जायेंगे।

3– नये संयोजन की धनराशि जमा किये जाने के पश्चात् अवर अभियन्ता (वितरण) सम्बन्धित उपभोक्ता के परिसर में मीटर की स्थापना के पश्चात् ही विद्युत का प्रवाह सुनिश्चित करेंगे।

4– समस्त अवर अभियन्ता (वितरण) आवंटित नये संयोजनों के विरूद्ध सम्बन्धित परीक्षण खण्ड कार्यालय से मॉग–पत्र प्रेषित कर अग्रिम रूप में मीटर प्राप्त करेंगे। इन मीटरों को स्थापित करने तथा उसका लेखा प्रस्तुत करने पर पुनः नये संयोजनों हेतु मीटर निर्गत किये जायेंगे।

5– अवर अभियन्ता (वितरण) द्वारा कोई भी संयोजन बिना मीटर के अवमुक्त किया जाना निषिद्ध होगा।

6– अवर अभियन्ता (वितरण) द्वारा माह में निर्गत नये संयोजनों का सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक माह पी–2 रजिस्टर (प्रायोरिटी रजिस्टर) में प्रविष्ट किये जायेंगे।

7– कम्प्यूटर ऑन लाईन प्रणाली में पासवर्ड इस्तेमाल किये जाने की स्थिति में अवर अभियन्ता (वितरण) द्वारा आवंटित / निर्गत नये संयोजनों का लेजरीकरण का कार्य किया जायेगा अथवा अन्य स्थिति में बी0सी0डी0 प्रोफार्मा भरकर मूल पत्रावलियों सहित उपखण्डीय कार्यालय में लेजरीकरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8– उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने के पश्चात् पुनः अगले नये संयोजनों हेतु 30 नये सर्विस संयोजन नम्बर वितरण खण्ड कार्यालय द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

9– उपर्युक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत बहुखण्डीय आवासों एवं बहुखण्डीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को संयोजन अवमुक्त नहीं किये जायेंगें ।

उपभोक्ताओं को संयोजन प्रदान करने हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष

संख्या – 277(1)–प्र0सु0–01 / पाकालि / 2006–29–प्र0सु0 / 2001, तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य महाप्रबन्धक सम्बद्ध अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2– प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

3– समस्त निदेशकगणों से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल, विद्युत वितरण निगम, लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी/के०स्को, कानपुर।
5– मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6– महाप्रबन्धक (का0प्र0–प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), उ0प्र0 पा0का0लि0।
8– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पा0का0लि0।
9– समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पा0का0लि0।
10– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पा0का0लि0।
11– समस्त उपसचिव/अनुसचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12– समस्त अनुभाग/कोष्ठक/शिविर, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह सेंगर) 7/XI/06

महाप्रबन्धक (का0प्र0–प्रथम)

Photo Copy

कार्यालय	
1.	संयोजन देने की तिथि : .....
2.	संयोजन संख्या : .....
3.	मीटर नं0 ..... रीडिंग : .....
	हस्ताक्षर अवर अभियन्ता

प्रमाणित फोटो चिपकायें। (निम्न में से किसी से भी प्रमाणित)	
1	माo सांसद/विधायक
2	राजपत्रित अधिकारी/बैंक मैनेजर
3	मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाचार्य/सभासद
4	ग्राम प्रधान (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

उपभोक्ता को संयोजन देने हेतु प्रपत्र
(केवल 4 किया तक घरेलू संयोजन)

1. उपभोक्ता का नाम : .....
2. पिता का नाम : : .....
   टेलीफोन/मोबाइल नं0 : .....
3. पता जहां पर संयोजन लेना है : .....
   .....
4. स्थायी पता : .....
   .....
5. परिसर में पूर्व में विद्युत संयोजन था (हां/नहीं), यदि हां तो संयोजन संख्या इंगित करें।
   .....
6. आवेदक किरायेदार है या मकान मालिक : .....
   (यदि किरायेदार है तो किरायेदारी का प्रमाणपत्र, यदि मकान मालिक है तो रजिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न करें।)
7. मकान में कमरों की संख्या : ..... प्लाट का आकार (लगभग) वर्ग मीटर में : .....
8. निकटतम खम्भे से दूरी : ..... मीटर
9. विद्युत भार की आवश्यकता — नया विद्युत भार : ..... किवा
   अतिरिक्त विद्युत भार : ..... किवा
   वर्तमान संयोजन संख्या ..... वर्तमान में स्वीकृत ..... किवा
   कुल भार ..... किवा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, यदि असत्य पाया जाय तो मुझे कनेक्शन न दिया जाय अथवा यदि दे भी दिया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के विच्छेदित कर दिया जाए। यह परिसर बहुमंजलीय इमारत अथवा विकसित कालोनी का भाग है जिसका नियमानुसार विद्युतीकरण कराया जा चुका है।

हस्ताक्षर उपभोक्ता

अवर अभियन्ता का प्रमाण पत्र

1. मैंने स्वयं दिनांक ..... को परिसर का निरीक्षण किया और जांच के उपरान्त पाया कि उक्त परिसर में पूर्व में कोई विद्युत संयोजन नही था अथवा उपभोक्ता के परिसर में पूर्व में संयोजन संख्या ..... था जिसका स्थायी विच्छेदन हो चुका है एवं अब इस परिसर पर कोई बकाया नही है अथवा रू0 ..... बकाया है।
2. उपभोक्ता के परिसर से निकटतम खम्भे की दूरी ..... मी0 है।
3. परिसर ..... कमरे हैं और क्षेत्रफल लगभग ..... वर्ग मी0 है।
4. परिसर बहुमंजलीय भवन/विकसित कलोनी का भाग है/नहीं है, तथा इसका नियमानुसार विद्युतीकरण किया जा चुका है।

हस्ताक्षर

नाम अवर अभियन्ता .....
वरिष्ठता कमांक .....
उपस्थान/खंड का नाम .....

नोट– यदि 15 दिन में संयोजन अवमुक्त न हो तो सम्बन्धित उपखंड अधिकारी से सम्पर्क करें।